क्या मां-बाप बेकसूर हैं?

वीणा शिवपुरी

"पिताजी, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। कोई काम ढूंढ लूंगी लेकिन मुझे यहां से ले जाइए। आप क्यों अपनी लाड़ली बेटी को भूल गए हैं। अगर आपने इस बार भी कुछ नहीं किया तो शायद मेरा मुंह नहीं देख पाएंगे।"

"मां, मेरी जान खतरे में है। ये लोग मुझे अपने रास्ते से हटा कर अपने लड़के की दूसरी शादी करना चाहते हैं। भइया से कहो मुझे बचा लें।"

"मैंने कितनी चिट्ठियां लिखीं, आप लोग फिर भी नहीं आए। यहां मेरा एक-एक दिन मुश्किल से कटता है। मेरा दम घुटता है। रात-दिन ताने, गालियां और मारपीट। पेट में बच्चा है फिर भी तीन-तीन दिन खाना नहीं देते।"

कौन हैं ये लड़कियां?

ऐसी चिट्ठियां एक नहीं हज़ारों हैं। लेकिन आज उन चिट्ठियों को लिखने वाली बेटियां ज़िंदा नहीं हैं। उनके नाम और पते बताने का कोई फ़ायदा नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे देश के हर कोने में थीं और आज भी हैं। कितनी ही बेटियां, अपने ससुराल से मां, बाप, भाई-भाभियों से इसी तरह की याचना करती हैं और दूसरी तरफ़ से उन्हें बार-बार यही सीख दी जाती है "बर्दाश्त करो, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा।" जबकि हम सब अपने मन में अच्छी तरह से जानते हैं कि ठीक कभी नहीं होता। या तो वे लड़कियां मर जाती हैं, मार दी जाती हैं या फिर न्याय के लिए लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति मर जाती है। वे सिर्फ़ एक जिंदा लाश की तरह दूसरे के हुक्म पर जीती हैं। फिर मां-बाप झूठी तसल्ली देकर क्या करते हैं?

अपने आपको धोखा देते हैं और अपनी बेटी को धोखा देते हैं।

क्या वे बेटी के दुश्मन हैं?

हम कम से कम यह मान कर चलते हैं कि लड़की का दर्जा कितना ही गिरा हुआ हो, मां-बाप पाली-पोसी लड़की को जानबूझ कर मारना नहीं चाहते। हालांकि कुछ मामलों में तो साफतौर पर यही नज़र आता है। फिर भी हम यही कहेंगे कि ज़्यादातर मामलों में या तो आर्थिक बोझ या सामाजिक दबाव से डर जाते हैं। उनके दिमाग में वही दकियानूसी धारणा बसी हुई है कि बेटी के ससुराल से लौट आने का मतलब खानदान की इज्ज़त मिट्टी में मिल जाना है।

हमारा एतराज

पहली बात तो यही है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे खानदान की इज्ज़त का बोझ औरतों पर ही क्यों डाला जाता है? चाहे वह बेटी हो या

बहू। मर्द भले ही कुछ भी करते रहें इज्ज़त को आंच नहीं आती। औरत के आंख उठाने, मुस्कुरा कर बात करने से इज्ज़त चली जाती है।

एक मिनट को मान भी लें कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, यहां ब्याही बेटी लौट आए तो हज़ार बातें बनाई जाती हैं। तो क्या वह तथाकथित इज्ज़त लड़की की जान से बढ़ कर है? वो बेटी जो आपके हाड़-मांस का हिस्सा हैं, जिसे प्यार से गोद में खिलाया है। जो आप पर जान निछावर करती है। उसे यों तड़प-तड़प कर मरते हुए देखना क्या किसी भी नज़रिए से सही हो सकता है?

इन पर कौन-सा कानून लागू हो?

आज चारों तरफ़ ससुराल वालों के अत्याचार के प्रति चेतना जाग रही है। औरतों के लिए अलग पुलिस सैल बनाए जा रहे हैं। कानूनों को सख्त बनाया जा रहा है लेकिन उन मां-बाप पर कोई उंगली नहीं उठाता जो जानबूझ कर लड़की को मरने के लिए उसकी ससुराल में छोड़ देते हैं। ससुराल वालों के अपराध की गंभीरता को मानते हुए मां-बाप को भी पूरी तरह बेकसूर नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी लड़की के आत्महत्या करने या मार दिए जाने के पीछे महीनों और सालों के अत्याचार का इतिहास होता है। हमारा अनुभव है कि आमतौर पर मां-बाप को इसके बारे में पता होता है लेकिन फिर भी वे पत्थर दिल बन जाते हैं।

आंखें खोलिए

दो साल पहले एक धनी घर की बहू को जला कर मार दिया गया। मुकदमा चला। अखबारों में छपा। तब लड़की के मां-बाप ने बताया कि "हम पिछले सालों में उन्हें लाखों रुपया और सामान दे चुके हैं। उनकी हर मांग पूरी करते आए हैं। कई महीनों से तो लड़की का खाना भी रोज़ हमारे घर से जाता था क्योंकि ससुराल वाले उसे खाना भी नहीं देते थे।"

क्या ऐसे मां-बाप किसी सहानुभूति के पात्र हैं? नहीं। मेरी नज़र में वे भी इस हत्या के भागीदार हैं। आज ज़रूरत है कि ऐसे अपराधियों के चेहरे भी बेनकाब किए जाएं। सिर्फ़ मां-बाप या मायके वाले कहलाकर वे अपने अपराध से मुंह नहीं चुरा सकते। □

बाल-विवाह क़ानून

— यदि 18 वर्ष से ऊपर और 21 वर्ष से कम उम्र का कोई लड़का ऐसी लड़की से विवाह करता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो तो उसे 15 दिन तक की साधारण कैद की सज़ा हो सकती है या एक हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों सज़ाएं साथ हो सकती हैं। यदि पुरुष 21 वर्ष से अधिक आयु का हो तो कैद की अवधि तीन महीने तक हो सकती है।

— जो भी व्यक्ति बाल-विवाह करता या करवाता है उसे तीन माह का साधारण कारावास और जुर्माने की सज़ा हो सकती है।

— यदि कोई नाबालिग बाल-विवाह करता है तो उसके माता-पिता, अभिभावक या दूसरे संरक्षक, जो बाल-विवाह की अनुमति देता है, उसे बढ़ावा देता है, जो बाल-विवाह को नहीं रोकता है, उसे तीन माह के साधारण कारावास और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। पर इस अपराध के लिए किसी महिला को कारावास की सज़ा नहीं दी जाएगी।